कार्यविधियों की छानबीन करके की जाएगी। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि जो भी आयोग और समितियां स्थापित की गई हैं और जो इस समय विद्यमान हैं उन सभी के बारे में यह देखने के लिए विस्तृत जांच की जाये कि क्या उनसे कोई ऐसा महत्वपूर्ण उपयोगी प्रयोजन सिद्ध हो रहा है जो उनका आगे बने रहना न्यायोचित ठहराता हो। मौजूदा कानूनों की भी इस दृष्टि से समीक्षा की जानी है कि क्या वे अनावश्यक हो गए और उनके प्रशासन के लिए मूलतः भर्ती किये गये कर्मचारियों को वापस किया जा सकता है। किफायत सम्बन्धी अन्य उपायों में नए पदों के बनाए जाने पर और खाली पदों के भरे जाने पर रोक/प्रतिबन्ध कार्यालय खर्चे में कड़ी किफायत, समयोपरि अदायगियों कटौती, टेलीफोनों, बिजली की खपत आदि से सम्बन्धित व्यय पर प्रतिबन्ध आते हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बीमा योजना

903. **श्री मीठा लाल पटेल :**

श्री के० मालप्पा :

क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल में एक बीमा योजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख). एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा योजना

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना को 1-7-1977 से लागू करने का विचार है। यह योजना नियमित संस्थापनों में सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (कार्यप्रभारित कर्मचारियों सहित) पर लागू होगी। किन्तु यह योजना ठेके पर काम करने वाले कर्मचरियों, राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य स्वायत्त संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों, विदेशों में भारतीय मिशनों में स्थानीय तौर पर भर्ती किये गये कर्मचारियों, नैमित्तिक मजदूरों और अंशकालिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

2. इस योजना के अन्तर्गत अंशदान की दरें और लाभ सरकारी कर्मचारियों के योजना के अधीन आने की आयु पर निर्भर करते हैं। ये तीन समूहों में बंटे हैं :--

समूह I

जो कर्मचारी 28 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले इस योजना के अधीन आते हैं, वे इस समूह में शामिल किये जायेंगे। उन्हें 28 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (अर्थात् 28 वर्ष की आयु प्राप्त करने के महीने से पूर्ववर्ती महीने के अन्त तक) प्रति माह 50 पैसे का एक समान अंशदान करना होगा। इस अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के मामले में उसके द्वारा नामित व्यक्तियों को 5000 - रु० की एक मुश्त राशि की अदायगी की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी 28 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले नौकरी छोड़ देता है अथवा उस आयु तक पहुंचने से पहले नौकरी छोड़ने के पश्चात् उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना के अन्तर्गत कोई भी आवधिक लाभ देय नहीं होंगे। 28 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर ये कर्मचारी समूह III के अन्तर्गत आ जायेंगे।

समूह-II

इस समूह मे 28 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् समूह I के कर्मचारी और 28 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले महीने में इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी शामिल होंगे । इन कर्मचारियों को 28 वर्ष की आयु प्राप्त करने के महीने से लेकर और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के महीने से पूर्ववर्ती महीने तक प्रतिमाह 5/- रुपए एक समान अंशदान करना होगा । 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सरकारी कर्मचारी को 5000/- रु० की अदायगी की जाएगी । सेवा मे रहते हुए मृत्यु होने पर सरकारी कर्मचारी द्वारा नामित व्यक्तियों को 5,000 रुपए की एक मुश्त अदायगी की जाएगी ।

28 वर्ष की आयु के पश्चात् किन्तु 31 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले इस योजना के अन्तर्गत आने वाला कोई कर्मचारी सामान्यत: समूह III के अधीन आयेगा । किन्तु ऐसे कर्मचारी को समूह II के अन्तर्गत आने का विकल्प होगा बशर्ते कि वह 28 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के महीने और वर्ष से 5 रुपए प्रतिमाह की दर पर अंशदानों की बकाया की अदायगी कर दे ।

समूह-III

इस समूह में सभी अन्य कर्मचारी शामिल किये जायेंगे ।

अंशदान की दर और मृत्यु पर देय लाभ वही होगा जो समूह II के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों पर लागू हैं । किन्तु इस समूह के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले मे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उपलब्ध लाभ निम्न प्रकार से होंगे :-

योजना में शामिल होने की तारीख को आयु	नकद देय राशि
29 से 34	योजना मे शामिल होने की आयु से लेकर अदा किये गये कुल अंशदानों का 1.75 गुणा
35 से 44	योजना में शामिल होने की आयु से लेकर अदा किये गए कुल अंशदानों का 1.25 गुणा
45 से 57	योजना मे शामिल होने की आयु से अदा किये गये कुल अंशदान ।

3. 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर सरकारी कर्मचारी से कोई अंशदान वसूली योग्य नहीं होंगे । तदनुसार यह बीमा केवल 58 वर्ष की आयु तक उपलब्ध होगा न कि उसके बाद ।

4. ऊपर समूह II और III के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु से पहले किसी भी कारण से नौकरी छोड़ने अथवा सेवा निवृत्त होने पर घटी हुई राशि का लाभ दिया जाएगा।